(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

२०२४/२३२

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 प्रार्थना पत्र	152/24 152/24	23/5/24	खारिज 10/6/24	6/6/24

अनवान

श्री गोपाललाल पुत्र जगदीशचन्द्र ब्राह्मण श्री भुरा पुत्र प्यारा बलाई

निवासी बिजोलिया निवासी केरखेडा ग्रा.-(५)

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री रामफुल धाकड़ श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

गोपाल बनाम भूरा

किस्म मुकदमा 111-128 नम्बर 152/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/05/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 06/06/2024 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
6/6/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 7/6/24 को वास्ते उ. आदेश पेश हो। उपखण्ड अधिकारी तामील प्राप्त।	
7/6/24	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बाद पुकार अनुपस्थित। विपक्षीगण के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए एवं तहसीलदार बिजौलिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 152/24 तारीख 23/5/24

गोपाललाल पुत्र जगदीशचन्द्र जाति ब्राहमण उम्र वयस्क पेशा कृषि निवारी बिजौलियां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............प्रार्थी

बनाम

01. भुरा पुत्र प्यारा जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवारी केरखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. पुरूषोत्तम पुत्र मोहनलाल जाति सेन उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. प्रदीश पुत्र नाथु जाति सेन उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. जसवंत पुत्र नाथु जाति सेन उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

...........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :– दिनांक 10/6/24

प्रार्थना पत्र में **गोपाललाल पुत्र जगदीशचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी बिजौलियां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)** ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते **मौजा केरखेडा पटवार हल्का रेसुन्दा में स्थित खाता संख्या 24 पर अंकित आराजी संख्या 373 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, आराजी संख्या 376 रकबा 0.2671 हैक्टेयर, आराजी संख्या 384 रकबा 0.2509 हैक्टेयर, आराजी संख्या 385 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, आराजी संख्या 395 रकबा 0.4613 हैक्टेयर कुल किता 05 रकबा 1.5054 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076–20796 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **कास्या** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फिस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा केरखेडा पटवार हल्का रेसुन्दा में स्थित खाता संख्या 24 पर अंकित आराजी संख्या 373 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, आराजी संख्या 376 रकबा 0.2671 हैक्टेयर, आराजी संख्या 384 रकबा 0.2509 हैक्टेयर, आराजी संख्या 385 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, आराजी संख्या 395 रकबा 0.4613 हैक्टेयर कुल किता 05 रकबा 1.5054 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख 10/6/24

प्रकरण संख्या – 152/24

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ......152....../ 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

गोपाललाल पुत्र जगदीशचन्द्र जाति ब्राहमण उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.) ....प्रार्थी

बनाम

01. भुरा पुत्र प्यारा जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी केरखेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. पुरूषोत्तम पुत्र मोहनलाल जाति सेन उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. प्रदीश पुत्र नाथु जाति सेन उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. जसवंत पुत्र नाथु जाति सेन उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.) ....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है कि **मौजा केरखेडा पटवार हल्का रेसुन्दा में स्थित खाता संख्या 24 पर अंकित आराजी संख्या 373 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, आराजी संख्या 376 रकबा 0.2671 हैक्टेयर, आराजी संख्या 384 रकबा 0.2509 हैक्टेयर, आराजी संख्या 385 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, आराजी संख्या 395 रकबा 0.4613 हैक्टेयर कुल किता 05 रकबा 1.5054 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकर **कास्या** कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीशनर फीस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)